

राजस्थान सरकार  
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान  
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर  
W-6, रेजिडेन्सी रोड (गौरव पथ), जोधपुर (राज.)

फोन. 0291-2432290 फैक्स नं.: 2632329, Visit us: www.livelihoods.rajasthan.gov.in/dtetrg E-mail ID:  
dte.cts.raj@gmail.com

क्रमांक: प.सं.7(11)/प्र-1/प्रवेश/1001/2018-19/12757

दिनांक : 13.08.2018

राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रक्रिया अन्तर्गत आवंटित संस्थान में **Reporting एवं Upward Movement** की सूचना

राजकीय/प्राइवेट आई.टी.आई. में सत्र अगस्त 2018 में प्रवेश हेतु केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया अन्तर्गत प्रथम संशोधित आवंटन सूची दिनांक 12-08-2018 को जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटित हो चुकी है, उन्हें ई मित्र कियोस्क पर प्रवेश/प्रशिक्षण का आंशिक शुल्क रुपये 3400/- जमा करवाकर चालान एवं समस्त मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित आई.टी.आई. में दिनांक **13-08-2018 से 18-08-2018 तक Report** करना आवश्यक है। डीजीटी/राज्य सरकार द्वारा आई.टी.आई. में प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यताएँ/अर्हताएँ अभ्यर्थी द्वारा धारित नहीं होने के सत्यापन उपरान्त उसका प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। विस्तृत दिशा-निर्देश **परिशिष्ट-1** में उल्लेखित है।

**Upward Movement के लिए आवेदन (अंतिम तिथि : 20.08.2018)**

अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये Option Form (विकल्प पत्र) के आधार पर आवंटित संस्थान में रिपोर्ट नहीं करने के कारण रिक्त (Drop Out) रहने वाले स्थानों पर प्रवेश हेतु Upward Movement की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। Upward Movement हेतु ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर सहमति भरने की अंतिम तिथि **20.08.2018** है। इस हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार है:-

(अ) पात्रता :- Upward Movement की इस प्रक्रिया में केवल निम्न अभ्यर्थी ही पात्र होंगे-

1. अभ्यर्थी जिन्हें विकल्प पत्र के आधार पर मेरिट के अनुसार संस्थान में सीट आवंटित हो चुकी है तथा उन्होंने आवंटित संस्थान में रिपोर्ट कर दिया है तथा Upward Movement में भाग लेना चाहते हैं। इस हेतु ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर अभ्यर्थी ने Upward Movement हेतु अपनी सहमति भरी है। डाक/मेल द्वारा भेजे गये प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
2. अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में भरे गये विकल्प पत्र के अनुसार कोई आवंटन नहीं मिल पाया (Choice Exhausted) है।

**नोट:-** जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में विकल्प पत्र नहीं भरा है अथवा आवंटित संस्थान में रिपोर्ट नहीं किया है वे इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने दिनांक 12.08.2018 को जारी प्रथम संशोधित आवंटन सूची के अनुसार रिपोर्ट कर दिया है तथा आवंटित संस्थान एवं व्यवसाय को यथावत रखना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर सहमति भरने की आवश्यकता नहीं है।

(ब) प्रक्रिया :-

1. उपरोक्तानुसार पात्र इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध टेब पर दिनांक 20.08.2018 तक अपनी सहमति भरनी होगी।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा सहमति दी जाएगी उनका पूर्व में दिये गये विकल्प पत्र एवं मेरिट के अनुसार शिफ्टिंग पश्चात किसी भी उच्च विकल्प पर आवंटन हो सकता है। इस प्रकार पुनः आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को नई आवंटित संस्थान/व्यवसाय में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा तथा पूर्व आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। Upward Movement प्रक्रिया में नई संस्थान/व्यवसाय आवंटित नहीं होने पर ही पूर्व आवंटन यथावत रहेगा।
3. अभ्यर्थियों को पूर्व में भरे गये विकल्प पत्र के आधार पर ही उच्च विकल्प पर मेरिट के अनुसार शिफ्टिंग कर, नई संस्थान/व्यवसाय आवंटित कर वेबसाइट पर सूचित किया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी।
4. अभ्यर्थी को नई आवंटित संस्थान/व्यवसाय में सीट आवंटन होने पर पर शेष शुल्क नियमानुसार आवंटित संस्थान में जमा करवानी होगी।

  
उपनिदेशक प्रशिक्षण

**राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय केन्द्रीकृत ऑनलाइन प्रक्रिया अन्तर्गत आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग एवं अपवर्ड मूवमेंट की सूचना**

- 1) राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया के तहत वरीयता सूची तथा अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर 8 वी उतीर्ण तथा 10 वी तथा 12 वी उतीर्ण व्यवसायों हेतु अलग-अलग आवंटन सूची जारी की गई है।
- 2) जिन अभ्यर्थियों ने केवल 8 वी उतीर्ण के व्यवसाय भरे हैं उन्हें 8 वी उतीर्ण वाली मेरिट सूची के अनुसार तथा जिन्होंने केवल 10 वी उतीर्ण के व्यवसाय भरे हैं उन्हें 10 वी उतीर्ण वाली मेरिट सूची के अनुसार तथा जिन्होंने केवल 12 वी उतीर्ण के व्यवसाय भरे हैं उन्हें 12 वी उतीर्ण वाली मेरिट सूची के अनुसार आवंटित संस्थान में निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट करना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने 8 वी, 10 वी, 12 वी तीनों अथवा किन्हीं दो के आप्शन फॉर्म भरे हैं उनको किसी एक आवंटन सूची का चयन कर रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग के लिए अभ्यर्थी को आंशिक फीस के तहत Rs. 3400/- ईमित्र पर जमा करा कर रसीद के साथ सभी मूल दस्तावेज तथा सभी मूल दस्तावेज की छाया प्रति का एक सेट आवश्यक रूप से आवंटित संस्थान में ले जाने होंगे।
- 3) निर्धारित तिथि तक आवंटित संस्थान में रिपोर्ट नहीं करने वाले (non-reporting) अभ्यर्थियों का नाम प्रवेश प्रक्रिया से हटा दिया जायेगा।
- 4) डीजीटी/राज्य सरकार द्वारा आई.टी.आई. में प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यता/अहर्ता अभ्यर्थी द्वारा धारित नहीं होने के सत्यापन उपरान्त उसका प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।
- 5) संस्थान में non-reporting के कारण रिक्त रहे स्थानों हेतु अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया सम्पादित की जाएगी।
- 6) अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया के लिए निम्न आभियार्थी ही योग्य होंगे:-
  - a. जिन्होंने आवंटित संस्थान में निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट कर दिया है।
  - b. जिन्हें प्रथम आवंटन में कोई संस्थान आवंटित नहीं हुआ है।
- 7) अपवर्ड मूवमेंट के लिए प्रथम आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी को अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु सहमति का विकल्प निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन देना होगा। जिन अभ्यर्थियों को प्रथम आवंटन में कोई संस्थान आवंटित नहीं हुआ है उन्हें अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया में स्वतः ही सम्मिलित कर लिया जायेगा।
- 8) जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपवर्ड मूवमेंट की सहमति दी जाएगी उनका पूर्व में दिये गये विकल्प पत्र एवं मेरिट के अनुसार शिफ्टिंग पश्चात किसी भी उच्च विकल्प पर आवंटन हो सकता है। इस प्रकार पुन आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को नई आवंटित संस्थान व्यवसाय में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा तथा पूर्व आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। Upward Movement प्रक्रिया में नई संस्थान/व्यवसाय आवंटित नहीं होने पर ही पूर्व आवंटन यथावत रहेगा।
- 9) अभ्यर्थियों को नई आवंटित संस्थान/व्यवसाय में सीट आवंटन होने पर शेष शुल्क नियमानुसार आवंटित संस्थान में जमा करवानी होगी।